मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 (फाल्गुन 30, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. बधाई एवं शुभकामनाएं.

आसंदी द्वारा श्री सिद्धार्थ तिवारी एवं श्री कमलेश प्रताप शाह, सदस्यगण विधानसभा को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री द्वारा अध्यक्ष महोदय को कल फाग उत्सव कराये जाने पर बधाई दी गई.

2. विशेष उल्लेख.

अध्यक्ष महोदय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा गया कि – ‘‘आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, जो पर्यावरण का प्रतीक है. हर साल 21 मार्च को दुनिया के सभी प्रकार के वनों का उत्सव मनाने, पेडों और वनों के महत्व को पहचानने और उनकी रक्षा के लिये कार्यवाही करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है. हम सब भी मिलकर आज संकल्प करें कि पर्यावरण की रक्षा कर अपने दायित्व के निर्वहन के लिये हम लोग वृक्षों को बचायें, वृक्षों को लगाएँ और उनका संरक्षण करें. ’’

3. प्रश्नोत्तर.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 127 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 182 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नकाल के दौरान **(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह जानना चाहा कि, ‘‘यह मोबाईल पर रिकार्ड कौन कर रहा है, साहब सिंह जी, आप का मोबाईल चालू है ? इस पर ‘‘श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य ने कहा कि जी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय’’)** अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि, ‘‘अगल-बगल कौन कर रहा है, यह सदन में अंदर की कार्यवाही को हम लोग कोई रिकार्ड नहीं करेंगे यह सभी सदस्य ध्यान दें.’’

5. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होने एवं ध्यानाकर्षण संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि, ‘‘आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में है, सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण कर सकते है.”

आज की कार्यसूची में ध्यानाकर्षण की 7 सूचनाएं ली गई हैं सभी के उत्तर पटल पर रखे जाएँगे. पहली 2 सूचनाओं में चर्चा होगी.

आज अनुदान मांगों पर भी चर्चा है, विनियोग पर भी चर्चा है और आज अशासकीय काम-काज का भी दिन है. मैं समझता हूं कि विनियोग का काम पूरा होने के बाद जो अशासकीय काम है, उसको लिया जायेगा. इसलिये हम सभी सदस्य उस समय उपस्थित रहें.

6. नियम 267-क के अधीन विषय.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य ने विजयराघगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अतंर्गत बरही से मैहर मार्ग के क्षतिग्रस्त पुल का पुनर्निर्माण।

(2) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर शहर में पेयजल संकट होना।

(3) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने नगर परिषद् पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी में इन्डोर स्टेडियम एवं ऑडिटोरियम के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण न कराया जाना।

(4) श्री मधु भाऊ भगत, सदस्य ने बालाघाट जिले में विभागीय भवनों के निर्माण में अनियमितता।

(5) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज सागर में मरीजों को सुविधाओं की कमी।

(6) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने हरदा जिले में नहाल जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल न किया जाना।

(7) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य ने भिण्ड जिले के तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस अटेर के विरूद्ध अवैध रेत उत्खनन की शिकायत प्राप्त होना।

(8) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य ने जिला दतिया के सेवढ़ा में स्थित दर्शनीय स्थलों के पहुंच मार्गों पर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाना।

(9) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के सेमरिया स्थित जल मोहरा डेम को भरने हेतु नहर का निर्माण कराया जाना।

(10) श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य ने कसरावद क्षेत्र के टोगांवा में बामखल तक सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना।

(11) श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र भितरवार क्षेत्र में स्टोन क्रेसरों से प्रदूषण फैलना।

(12) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य ने मुरैना जिले के आगरा-ग्वालियर हाईवे के लिये किसानों की भूमि अधिग्रहण की जाना।

(13) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिला मुख्यालय के शासकीय कन्या उच्च माध्य. विद्यालय को ढोंगा से नजरबाग स्थित नवीन भवन में स्थानांतरित करने बाबत्।

(14) श्री फूल सिंह बरैया, सदस्य ने भोपाल के जय प्रकाश चिकित्सालय में पार्किंग, मेडिकल एवं पंजीयन आदि व्यवस्था में लापरवाही के कारण मरीजों को परेशानी होना।

(15) श्री महेन्द्र रामसिंह यादव, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र कोलारस में नवीन खेल परिसर का निर्माण कराया जाना।

(16) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य ने पन्ना विधान सभा क्षेत्र की केन नदी पर पुल एवं सड़क का निर्माण कराया जाना।

(17) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य ने सतना जिले के वार्ड 35 में कब्रिस्तान हेतु भूमि उपलब्ध कराकर निर्माण कराया जाना।

(18) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य ने सिविल अस्पताल जावरा में ट्रामा सेंटर व ब्लड बैंक स्थापित कराया जाना।

(19) श्री राजेश कुमार शुक्ला, सदस्य ने प्रदेश में अविवाहित महिलाओं को परिवार पेंशन प्रदाय न किया जाना।

(20) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य ने नगर पालिका बड़वानी के कारंजा चौराहा से सैगांव फाटा तक निर्माणाधीन सी.सी. रोड़ को समय सीमा में पूर्ण न किया जाना।

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री तुलसीराम सिलावट राजपूत, जल संसाधन मंत्री द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उपधारा (6) एवं मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के नियम 15 के उप नियम (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 पटल पर रखा गया.

8. ध्यानाकर्षण

(1) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य** ने टीकमगढ़ सहित प्रदेश में भू-अभिलेख के राजस्व रिकार्ड का संधारण न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री हरिशंकर खटीक, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

ध्यानाकर्षण के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – ''माननीय मंत्री जी, बहुत सारे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफी प्रश्न खड़े है तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक

अभियान चला कर यह नामांतरण संबंधी, बंदोबस्त संबंधी एवं बंटवारा संबंधी, इन सारे विषयों का निराकरण करना चाहिये. यह आम आदमी से जुड़ा विषय है.''

इस पर श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने आसंदी को आश्वस्त किया कि- ''अध्यक्ष महोदय की बात का पालन कर रहा हूं, तीन बार महाअभियान चलाया जिसमें एक लाख प्रकरण इतिहास में पहली बार निराकृत किये हैं और जो बचे हैं, उनका भी तत्काल निराकरण करेंगे. ''

10. ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

(2) **श्री भगवानदास सबनानी, सदस्य** ने भोपाल के कोटरा स्थित गंगा नगर में प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य पूर्ण न होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

11. स्वागत उल्लेख.

ध्यानाकर्षण के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा गंधवानी जिला धार से दसवीं और बारहवीं क्लास के आदिवासी समाज के बच्चों का सदन की दीर्घा में उपस्थिति पर स्वागत किया गया.

12 . ध्यानाकर्षण (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि "कार्यसूची के पद 3 के उप पद (3) से (07) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा संबंधित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुईं तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े गए माने जाएंगे" -

(3) **श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य** ने रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(4) **श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य** ने सिरोंज क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्य में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्रीमती संपतिया उइके, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(5) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य** ने रीवा जिले में नहरों के निर्माण में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(6) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य** ने अनूपपुर में पदस्थ उप संचालक द्वारा शासकीय धन का गबन किये जाने की ओर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(7) **डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान, सदस्य** ने उज्जैन जिले से गिरफ्तार अपराधी पर कार्यवाही न होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राज्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

13. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 137-होशंगाबाद से निर्वाचित सदस्य, डॉ. सीतासरन शर्मा को विधान सभा के मार्च, 2025 सत्र की शेष बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

14. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा.

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समितियों के लिये क्रमशः ग्यारह- ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के सिलसिले में घोषित कार्यक्रमानुसार, नाम वापसी के पश्चात् संबंधित समितियों के लिए जितने सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं उतने ही उम्मीदवार शेष हैं अतः उक्त समितियों के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया-

(1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री भंवर सिंह शेखावत (सभापति)
2. श्री जयंत मलैया
3. सुश्री मीना सिंह मांडवे

4. श्री संजय सत्येन्द्र पाठक
5. श्रीमती नीना विक्रम वर्मा
6. श्री हरिशंकर खटीक
7. डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
8. श्री चन्द्रशेखर देखमुख
9. श्रीमती रीति पाठक
10. श्री अभय मिश्रा
11. श्री संजय उइके

श्री भंवर सिंह शेखावत, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अजय विश्नोई (सभापति)
2. श्री ओमप्रकाश धुर्वे
3. श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
4. श्री रामेश्वर शर्मा
5. श्री आशीष गोविन्द शर्मा
6. श्री राजेश कुमार वर्मा
7. श्री भगवानदास सबनानी
8. डॉ. चिंतामणि मालवीय
9. श्री सोहनलाल बाल्मीक
10. श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार
11. श्री दिनेश जैन (बोस)

श्री अजय विश्नोई, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री सुरेन्द्र पटवा (सभापति)
2. सुश्री उषा ठाकुर
3. श्री हरीसिंह रघुवंशी
4. श्री सूर्यप्रकाश मीणा
5. श्री प्रहलाद लोधी
6. डॉ. योगेश पण्डाग्रे
7. श्री राकेश शर्मा (गोलू)
8. श्री सतीश मालवीय
9. श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
10. श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर
11. श्री फूलसिंह बरैया

श्री सुरेन्द्र पटवा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(4) स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री रमेश मैंदोला (सभापति)
2. श्री शैलेन्द्र जैन
3. श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी
4. श्री दिव्यराज सिंह
5. श्री विश्वामित्र पाठक
6. श्री हेमंत विजय खण्डेलवाल
7. श्री राजेश सोनकर
8. श्री घनश्याम चन्द्रवंशी

9. श्री जयवर्द्धन सिंह
10. डॉ. सतीश सिकरवार
11. श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव

श्री रमेश मैंदोला, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

15. प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

16. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सभापति विशेषाधिकार समिति ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि -

"श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री शमीम खान, संपादक, दैनिक महाकौशल एक्सप्रेस, समाचार पत्र, सिवनी के विरूद्ध विशेषाधिकार समिति को संदर्भित सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री मुकेश मल्होत्रा** (जिला-श्योपुर)
(2) **श्री सुरेश राजे** (जिला-ग्वालियर)
(3) **श्री अरविन्द पटैरिया** (जिला छतरपुर)
(4) **श्री नारायण सिंह पट्टा** (जिला-मंडला)
(5) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर** (जिला-निवाड़ी)
(6) **श्री अनिल जैन (निवाड़ी)** (जिला-निवाड़ी)
(7) **श्री मुरली भंवरा** (जिला-देवास)
(8) **श्री प्रहलाद लोधी** (जिला-पन्ना)
(9) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह** (जिला-पन्ना)
(10) **श्री फूलसिंह बरैया** (जिला-दतिया)
(11) **श्री केशव देसाई (जाटव)** (जिला-भिण्ड)
(12) **श्री प्रदीप पटेल** (जिला-मऊगंज)
(13) **श्री मधु भगत** (जिला-बालाघाट)
(14) **श्रीमती अनुभा मुंजारे** (जिला-बालाघाट)
(15) **श्री प्रणय प्रभात पांडे** (जिला-कटनी)
(16) **श्री महेन्द्र रामसिंह यादव (खतौरा)** (जिला-शिवपुरी)
(17) **डॉ. तेजबहादुर सिंह चौहान** (जिला-उज्जैन)
(18) **श्री सोहनलाल बाल्मीक** (जिला-छिन्दवाड़ा)
(19) **डॉ. हिरालाल अलावा** (जिला-धार)
(20) **श्री मथुरालाल डामर** (जिला-रतलाम)
(21) **श्री केदार चिड़ाभाई डाबर** (जिला-खरगोन)
(22) **डॉ. सतीश सिकरवार** (जिला-ग्वालियर)
(23) **श्री मोहन सिंह राठौर** (जिला-ग्वालियर)
(24) **श्री राजेश कुमार वर्मा** (जिला-पन्ना)
(25) **श्री दिनेश गुर्जर** (जिला-मुरैना)
(26) **श्री अभिजीत शाह (अंकित बाबा)** (जिला-हरदा)
(27) **सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती)** (जिला-छतरपुर)
(28) **श्री विवेक विक्की पटेल** (जिला-बालाघाट)
(29) **श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी** (जिला-जबलपुर)

(30) **श्री अभय मिश्रा (जिला**-रीवा)
(31) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला**-सागर)
(32) **श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला**-अनूपपुर)
(33) **श्री विश्वनाथ सिंह 'मुलाम भैया' (जिला**-नरसिंहपुर)
(34) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला**-रतलाम)
(35) **श्री सिद्धार्थ तिवारी (जिला**-रीवा)
(36) **डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला**-हरदा)
(37) **श्री विपीन जैन (जिला**-मंदसौर)
(38) **श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला**-छतरपुर)
(39) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला**-टीकमगढ़)
(40) **श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला**-रतलाम)
(41) **श्रीमती मनीषा सिंह (जिला**-शहडोल)
(42) **श्री वीरसिंह भूरिया (जिला**-झाबुआ)
(43) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला**-अनूपपुर)
(44) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय (जिला**-जबलपुर)
(45) **श्री साहब सिंह गुर्जर (जिला**-ग्वालियर)
(46) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला**-भिण्ड)
(47) **श्री उमाकांत शर्मा (जिला**-विदिशा)
(48) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला**-धार)
(49) **श्रीमती छाया मोरे (जिला**-खण्डवा)

18. शासकीय वक्तव्य.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की संगठनात्मक संरचना में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य दिया.

19. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

20. वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(1)	अनुदान संख्या – 23	जल संसाधन के लिए नौ हजार एक सौ तिरासी करोड़, इक्कीस लाख अठावन हजार रुपये ।

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(2) श्री चैनसिंह वरकड़े
(3) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

सभापति महोदय (श्री लखन घनघोरिया) पीठासीन हुए.

(4) श्रीमती सेना महेश पटेल
(5) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(6) श्री अभय मिश्रा

(7) श्रीमती अर्चना चिटनीस
(8) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी
(9) सुश्री उषा बाबू सिंह ठाकुर
(10) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(11) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(12) श्री सुरेश राजे
(13) श्री अनिल जैन कालूहेड़ा

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(14) श्री मधु भगत
(15) श्री कमल मर्सकोले
(16) श्री रजनीश हरवंश सिंह
(17) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(2)	अनुदान संख्या – 13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए बत्तीस हजार तीन सौ सात करोड़, बयासी लाख अड़सठ हजार रुपये ।

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(3) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी
(4) श्रीमती अर्चना चिटनीस

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(5) श्री दिनेश जैन बोस
(6) डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान
(7) श्री अभिजीत शाह
(8) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा
(9) श्री भैरो सिंह बापू
(10) श्री अनिरूद्ध माधव मारू

श्री एदल सिंह कंषाना, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री विश्वास कैलाश सारंग, खेल और युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को -

(3)	अनुदान संख्या – 43	खेल और युवा कल्याण के लिए छह सौ बासठ करोड़, बयासी लाख, उनचास हजार रुपये एवं
	अनुदान संख्या – 17	सहकारिता के लिए दो हजार सैंतीस करोड़, उनसठ लाख, उनतालीस हजार रुपये

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) श्री भंवर सिंह शेखावत
(2) श्री आशीष गोविन्द शर्मा

21. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि, ''आज की कार्यसूची में सम्मिलित विषय पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.''

22. वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(3) श्री यादवेन्द्र सिंह
(4) श्री दिलीप सिंह परिहार
(5) श्री दिनेश गुर्जर
(6) श्री अरूण भीमावद

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(7) डॉ. रामकिशोर दोगने
(8) श्री चैनसिंह वरकड़े
(9) श्री सुरेश राजे
(10) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय

श्री विश्वास कैलाश सारंग, खेल और युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को –

(4)	अनुदान संख्या – 22	नगरीय विकास एवं आवास के लिए सोलह हजार सात सौ इक्कीस करोड़, पांच लाख, अडसठ हजार रुपये एवं
	अनुदान संख्या – 28	राज्य विधान मण्डल के लिए एक सौ सत्तावन करोड़, उनचालीस लाख, बारह हजार रुपये

तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

(1) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए.

(2) श्री पंकज उपाध्याय
(3) श्री भगवानदास सबनानी
(4) श्री लखन घनघोरिया
(5) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(6) श्री दिनेश गुर्जर
(7) श्री हजारीलाल दांगी
(8) श्री उमाकांत शर्मा
(9) श्री आशीष गोविन्द शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(10) श्री देवेन्द्र रामनारायण सखवार
(11) श्री रामनिवास शाह
(12) श्री माधव सिंह (मधु गहलोत)
(13) श्री महेन्द्र नागेश
(14) श्री उमंग सिंघार

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

23. वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मुखबन्ध (गिलोटिन) : प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – ''वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के साथ कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर दोनों पक्षों के अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है. कार्य मंत्रणा समिति में सहमति अनुसार अभी तक 17 मार्च से शासन के मुख्य विभागों की अनुदान मांगों पर सतत् रूप से भोजनावकाश स्थगित करने के साथ सायं देर तक बैठकर विस्तृत चर्चा सदन में हुई है. निर्धारित समय सीमा में अनुदान मांगें स्वीकृत होना आवश्यक है और कार्य दिवस कम हैं.

अतः वर्णित स्थिति में वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर अब मुखबन्ध (गिलोटिन) होगा. इस संबंध में मतदान हेतु शेष विभागों की अनुदान मांगें माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त) जी एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा.''

24. अध्यक्षीय व्यवस्था

मुखबन्ध प्रस्ताव प्रस्तुत होने के तुरन्त पश्चात् श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से निवेदन किया गया कि – '' माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग रह गया था. आपसे जो कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हुई, लोक निर्माण महत्वपूर्ण विभाग रह गया है.''

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि – '' माननीय नेता प्रतिपक्ष जी और सभी विधायकों से मेरा अनुरोध है कि हम सबने बहुत विस्तार से चर्चा की है, लेकिन आज हम सब इस बात को जानते हैं कि आज अशासकीय कार्य का दिन भी था और 4 अशासकीय संकल्प हैं तो मैं समझता हूं कि संकल्प पर चर्चा नहीं होगी तो वह शुक्रवार के अलावा अन्य दिन नहीं हो सकती है और इसलिये मुझे लगता है कि समय का हम सब लोग ध्यान करें और कृपया सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने में मदद करें ऐसा मेरा नेता प्रतिपक्ष और बाकी सदस्यों से अनुरोध है.

शेष विभागों की अनुदान मांगें माननीय उपमुख्यमंत्री जी, वित्त एक साथ प्रस्तुत करेंगे, उन पर एक साथ मत लिया जायेगा.''

25. वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर मुखबन्ध (गिलोटिन) : प्रस्ताव (क्रमश:)

तद्नुसार, श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि- ''31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त लेखानुदान में दी गई धनराशि को सम्मिलित करते हुए राज्यपाल महोदय को-

अनुदान संख्या – 01	सामान्य प्रशासन के लिए एक हजार, सैंतालीस करोड़, सत्तर लाख, सतहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 02	विमानन के लिए दो सौ नौ करोड़, तिरेपन लाख, अठारह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 03	गृह के लिए बारह हजार आठ सौ बहत्तर करोड़, तिरानवे लाख, बावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 04	पर्यावरण के लिए अड़तीस करोड़, इकहत्तर लाख, नवासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 05	जेल के लिए सात सौ चौरानवे करोड़, सड़सठ लाख, अठारह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 06	वित्त के लिए इक्तीस हजार सात सौ चौवन करोड़, बानवे लाख, बत्तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 07	वाणिज्यिक कर के लिए तीन हजार अड़तीस करोड़, बावन लाख, चौरासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 08	भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय के लिए दस हजार नौ सौ बावन करोड़, पांच लाख, अड़तालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 09	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए चार सौ अस्सी करोड़, चौहत्तर लाख, चार हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 10	वन के लिए पांच हजार तीन सौ तेईस करोड़, तेईस लाख, सत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए दो हजार आठ सौ इक्यानवे करोड़, छियालीस लाख रुपये,
अनुदान संख्या – 14	पशुपालन एवं डेयरी के लिए दो हजार चार सौ अस्सी करोड़, चौरासी लाख, छप्पन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 15	घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति के लिए साठ करोड़, तैंतीस लाख, चौसठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास के लिए तीन सौ बत्तीस करोड़, दो लाख आठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 21	लोक सेवा प्रबंधन के लिए तिरानवे करोड़, उनहत्तर लाख, तीन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य के लिए तेरह हजार पांच सौ सतावन करोड़, चौहत्तर लाख, बासठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 25	खनिज साधन के लिए एक हजार चार सौ सैंतालीस करोड़, तेईस लाख, बयालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 26	संस्कृति के लिए एक हजार निन्यानवे करोड़, बत्तीस लाख, छह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 27	स्कूल शिक्षा के लिए छत्तीस हजार पांच सौ इक्यासी करोड़, उन्नीस लाख, तेईस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 29	विधि और विधायी कार्य के लिए तीन हजार तीन सौ चौहत्तर करोड़, तिहत्तर लाख, सैंतीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए नौ सौ सतानवे करोड़, अड़सठ लाख, अठानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 32	जनसंपर्क के लिए आठ सौ पचहत्तर करोड़, सतावन लाख, उनहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 33	जनजातीय कार्य के लिए चौदह हजार आठ सौ तीस करोड़,

	उनहत्तर लाख, अठानवे हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के लिए चार हजार छह सौ तिरेपन करोड़, पचासी लाख, बारह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए एक हजार सात सौ पचासी करोड़, चौरानवे लाख, नवासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 36	परिवहन के लिए दो सौ चालीस करोड़, पचासी लाख, सतासी हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 37	पर्यटन के लिए तीन सौ नब्बे करोड़, सत्रह लाख, उनहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 38	आयुष के लिए एक हजार एक सौ सोलह करोड़, पचानवे लाख, चौवन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार पांच सौ पांच करोड़, उनहत्तर लाख, बावन हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 41	प्रवासी भारतीय के लिए बीस करोड़ रुपये,
अनुदान संख्या – 42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास के लिए एक सौ चौरासी करोड़, चौवन लाख, छिहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 44	उच्च शिक्षा के लिए चार हजार तीन सौ चवालीस करोड़, अठारह लाख, पचहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 45	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए सतावन करोड़, इक्यासी लाख, चालीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए चार सौ सतानवे करोड़, उनासी लाख, अठारह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए दो हजार सात सौ अड़तीस करोड़, छियासी लाख, सैंतीस 'हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 48	नर्मदा घाटी विकास के लिए आठ हजार छह सौ पैंसठ करोड़, तीस हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए दो हजार पांच सौ उनतीस करोड़, ग्यारह लाख, साठ हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए पांच सौ बयालीस करोड़, तैंतीस लाख, तिहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए एक सौ इक्कीस करोड़, तिरसठ लाख, उनचास हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 52	आनंद के लिए पंद्रह करोड़, तीस लाख रुपये,
अनुदान संख्या – 53	अल्प संख्यक कल्याण के लिए एक सौ सतावन करोड़, सत्ताइस लाख, अठारह हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 54	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक हजार पांच सौ सड़सठ करोड़, चार लाख तीन हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 55	महिला एवं बाल विकास के लिए छब्बीस हजार सात सौ सतानवे करोड़, इक्तीस लाख, छिहत्तर हजार रुपये,
अनुदान संख्या – 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए एक सौ सतावन करोड़, पचास लाख, छियासठ हजार रुपये ।
	तक की राशि दी जाय.''

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 एवं 56 के लिए राज्यपाल महोदय को प्रस्तावित राशि दी जाये-

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

अनुदान मांगों का प्रस्ताव (ध्वनिमत से) स्वीकृत हुआ.

26. वित्तीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2,3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1, पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

27. अशासकीय संकल्प.

(1) **श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य** ने ''प्रदेश में निर्मित होने वाली सड़कों के बाजू में प्रत्येक 5 कि.मी. पर "वाटर हार्वेस्टिंग" सिस्टम की स्थापना की जावे'' संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया. इस पर हुई चर्चा में श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य एवं श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप-मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा द्वारा इस संकल्प पर उत्तर दिया गया.

संकल्प अस्वीकृत हुआ.

(2) **श्री भैरो सिंह (बापू), सदस्य की अनुपस्थितिवश** ''उज्जैन से झालावाड़ रेल लाईन (व्हाया आगर-सुसनेर सोयतकलां) के बीच रेल लाईन स्वीकृत कर रेलगाड़ी चलाई जाए'' संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत न हो सका.

(3) **श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य** ने ''कोल इण्डिया की सहायक कंपनी (वे.को.लि.) वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड पेंच क्षेत्र परासिया में कंपनी के मकान सर्वे आफ हो गये है और वे.को.लि. को भूमि का कोई भी उपयोग नहीं है तथा मकानों में 50 वर्षों से भी अधिक समय से गरीब वर्ग के परिवार निवास करते आ रहे हैं, अतः वे.को.लि. भूमि की लीज समाप्त कर सरकार द्वारा गरीब परिवार को पट्टा/मकान का मालिकाना हक प्रदान किये जाने'' संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया. इस पर हुई चर्चा में श्री करणसिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, श्री दिलीप जायसवाल,राज्य मंत्री, कुटीर एवं ग्रामोउद्योग ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस संकल्प पर उत्तर दिया गया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

(4) **श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य ने** नवीन राजस्व अनुविभाग चित्रकूट (मुख्यालय चित्रकूट) में नगर पंचायत चित्रकूट के साथ खरहा, सेजवार, टेढी, पालदेव, आधी-पडमनिया के ग्राम शामिल कर अनुभाग बनाया जाए संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया. इस पर हुई चर्चा में श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री करणसिंह वर्मा, राजस्व मंत्री द्वारा इस संकल्प पर उत्तर दिया गया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

अपराह्न 09:59 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 24 मार्च, 2025 (चैत्र 3, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 21 मार्च, 2025